



भारत में कार्ड का टोकनाइज़ेशन

प्रलिस के लिये:

भारतीय रजिस्टर बैंक (RBI), टोकनाइज़ेशन, संवेदनशील डेटा, कार्ड-ऑन-फाइल सिस्टम, डिजिटल भुगतान।

मेन्स के लिये:

टोकनाइज़ेशन का महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारतीय रजिस्टर बैंक (RBI)** ने ऑनलाइन, पॉइंट-ऑफ-सेल और इन-एप लेनदेन में उपयोग किये जाने वाले सभी क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के लिये टोकनाइज़ेशन अनिवार्य कर दिया है।

- उपभोक्ता को टोकनाइज़ेशन सेवा के बदले कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

टोकनाइज़ेशन:

- यह वास्तविक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के वविरण को "टोकन" नामक एक वैकल्पिक कोड में बदलने को संदर्भित करता है, जो कार्ड, टोकन अनुरोधकरता (वह इकाई जो कार्ड के टोकनाइज़ेशन के लिये ग्राहक का अनुरोध स्वीकार करता है और संबंधित टोकन जारी करने के लिये इसे कार्ड नेटवर्क पर भेजता है) तथा डिवाइस के संयोजन के लिये **वशिष्ट** होगा।

टोकनाइज़ेशन की आवश्यकता:

- संवेदनशील जानकारी की सुभेद्यता:** अमेज़न, मतिरा, फ्लिपकार्ट, बगिबास्केट आदि जैसे ई-कॉमर्स दगिगज अपने साथ कार्ड के संवेदनशील वविरण जैसे कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और सीवीवी इन कंपनियों के डेटाबेस में संग्रहीत कर लेते हैं।
 - लेकिन यदि डेटाबेस हैक कर लिया जाता है तो कार्ड के डेटा के चोरी या गलत उपयोग के कारण समस्या पैदा हो जाती है।
- डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि:** **COVID-19 महामारी** ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव किया है। उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस दशा में सुरक्षा तंत्र को और अधिक मज़बूत करने की आवश्यकता है।
 - प्रत्येक माह औसतन 6 अरब लेन-देन होने के साथ, यदि ध्यान नहीं दिया गया तो धोखाधड़ी भी आनुपातिक रूप से बढ़ सकती है।
 - यह धोखाधड़ी पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था के लिये बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। वर्ष 2019 से वर्ष 2020 तक, कार्ड धोखाधड़ी 14% की चक्रवृद्धिवार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ी है, जबकि पिछले तीन वर्षों में इसमें 34% की वृद्धि हुई है।
- अप्रचलित वर्तमान व्यवस्था:** मौजूदा कार्ड-ऑन-फाइल सिस्टम (CoF) को आसानी से भंग किया जा सकता है और डेटा चोरी हो सकता है। इन्हीं सुरक्षा चिंताओं का ध्यान रखने के लिये आरबीआई टोकन प्रणाली लेकर आया है जो गारंटी देता है कि ग्राहकों के वविरण का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है तथा किसी के द्वारा उनका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है।
 - CoF लेन-देन एक ऐसा लेन-देन है जहाँ कार्डधारक ने कार्डधारक के मास्टरकार्ड या वीज़ा भुगतान वविरण को संग्रहीत करने हेतु एक व्यापारी को अधिकृत किया है।

टोकनाइज़ेशन सेवाओं की पेशकश:

- अधिकृत कार्ड नेटवर्क: टोकनाइज़ेशन केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा किया जा सकता है और मूल प्राथमिक खाता संख्या (पैन) तक पहुँच केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क के लिये संभव होनी चाहिये।
 - इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिये कि पैन और अन्य संवेदनशील डेटा टोकन से कार्ड नेटवर्क को छोड़कर किसी अन्य के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आरबीआई ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि टोकन बनाने की

प्रक्रिया की अखंडता हर समय सुनिश्चित की जानी चाहिये।

टोकनाइजेशन के लाभ:

- एक टोकनयुक्त कार्ड लेन-देन को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि लेन-देन के दौरान वास्तविक कार्ड वविरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है। वास्तविक कार्ड डेटा, टोकन और अन्य प्रासंगिक जानकारी अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा सुरक्षित रूप से संग्रहीत की जाती है।
 - टोकन अनुरोधकर्ता **प्राथमिक खाता संख्या (Primary Account Number-PAN)**, या कोई अन्य कार्ड वविरण संग्रहीत नहीं कर सकता है। कार्ड नेटवर्क को सुरक्षा के लिये टोकन अनुरोधकर्ता को प्रमाणित करना भी अनिवार्य है जो अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं/विविध स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुरूप है।
- टोकनाइजेशन भुगतान पारस्थितिकी तंत्र में उन्नत नवाचारों का मार्ग प्रशस्त करता है। यह भुगतान के लिये आधारशिला बन गया है, चाहे **वह ऑनलाइन हो, ऑनलाइन हो या मोबाइल वॉलेट के माध्यम से**।
- यह ग्राहकों और व्यवसायों के मध्य **वश्वास** को मजबूत करता है।
- व्यवसायों के लिये **लालफीताशाही के स्तर को कम** करता है।
- इसमें शामिल सभी पक्षों के लिये **आसान और सुरक्षित भुगतान अनुभव का एक पारस्थितिकी तंत्र** बनाता है।

भारत में कार्ड भुगतान की स्थिति:

- RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किये गए भुगतान लेन-देन मात्रा के संदर्भ में 27% बढ़कर 223.99 करोड़ और मूल्य के संदर्भ में 54.3% बढ़कर 9.72 लाख हो गया है।
- जुलाई (2022) तक जारी किये गए क्रेडिट कार्डों की संख्या लगभग 8 करोड़ थी, और इस प्रणाली में डेबिट कार्ड की संख्या लगभग 92.81 करोड़ थी।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजयि: (2019)

‘भुगतान प्रणाली ऑकडों के भंडारण (स्टोरेज ऑफ पेमेंट ससि्टम डेटा)’ के संबंघ में भारतीय रजिर्व बैंक के हाल का नदिश, जसि प्रचलति रूप से डेटा डकिट्ट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं (पेमेंट ससि्टम प्रोवाइडर्स) को समादेशति करता है कः

1. वे यह सुनिश्चित करेंगे क उनके द्वारा संचालति भुगतान प्रणालयिों से संबंघति समग्र ऑकडे एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारति कयि जाँँ।
2. वे यह सुनिश्चित करेंगे क इन प्रणालयिों का स्वामतिव और संचालन सार्वजनकि कषेत्तर के उदयम ही करें।
3. वे कैलेंडर वर्ष की समाप्त तिक भारत के नयित्तरक एवं महालेखापरीकषक को समेकति प्रणाली लेखापरीकषा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- पर्यवेकषी उद्देश्यों के लयि सभी भुगतान डेटा तक नरिबाध पहुँच प्राप्त करने हेतु भारतीय रजिर्व बैंक ने नरिदेश दयि था क सभी ससि्टम प्रदाता यह सुनिश्चित करें क संचालति भुगतान प्रणाली से संबंघति संपूरण डेटा केवल भारत में एक ससि्टम में संग्रहीत कयि जाए। इस डेटा में संदेश/भुगतान नरिदेश के हसिसे के रूप में संपूरण लेन-देन वविरण/संग्रह/संसाधति की गई जानकारी शामिल हो, **अतः कथन 1 सही है।**
- सार्वजनकि कषेत्तर के उदयमों द्वारा ससि्टम के स्वामतिव और संचालन के संबंघ में कोई प्रावधान प्रदान नहीं कयि गया है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- आरबीआई ने भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को सीईआरटी-इन पैनलबद्ध लेखापरीकषकों द्वारा अनविर्य रूप से आयोजति ऑडिट के साथ ससि्टम ऑडिट रिपोर्ट (SAR) जमा करने का भी नरिदेश दयि था। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

